



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक एफ. 9/3/आयु.उ/मार्के/2005

दिनांक: 04/09/18

संशोधित आदेश

वित्त सा.वि.ले. नियम पार्ट-11 के नियम-225 (एच) के अन्तर्गत इस विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2014 का अतिक्रमण करते हुए कुर्सियों की रिंकेनिंग का कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित नेत्रहीन व्यक्तियों की संस्थाओं के साथ-साथ विकलांगों, विधवाओं, अनाथों एवं भिखारियों की अनुमोदित संस्थाओं से कराने हेतु आदेश दिनांक 30.05.2018 के द्वारा ^{दो} का पुननिर्धारण किया गया है। उक्त दरों में जीएसटी सम्मिलित नहीं है।

(डा० समित शर्मा)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक एफ. 9/3/आयु.उ/मार्के/2005

दिनांक: 04/09/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
4. सचिव, लोकायुक्त, सचिवालय, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. समस्त शासन सचिव/उपशासन सचिव, राजस्थान
7. प्रधान महा लेखाकार (सिविल लेखा परीक्षक) राजस्थान जयपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर
9. समस्तकोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
10. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
12. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,.....

आयुक्त, उद्योग